



मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो०- हरपुर एलौथ, जिला- समस्तीपुर
AN ISO 22000: 2018 CERTIFIED ORGANISATION




आवश्यक सूचना

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, समस्तीपुर के पत्रांक सं०:मदुस:विप०:622 दिनांक-16.02.2024 के तहत दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण मे दिनांक-18.02.2024 को राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी जिलों मे विभिन्न स्थलों पर सुधा होल डे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्ति को दिनांक-09.03.2024 तक आवेदन पत्र जमा करने हेतु सूचना प्रकाशित करायी गई थी।

विदित हों कि उक्त निविदा को अपरिहार्य कारणवश आवेदन पत्र जमा करने की तिथि-22.03.2024 तक विस्तार की जाती है। संघ के पत्रांक सं०:मदुस:विप०:622 दिनांक-16.02.2024 मे अंकित नियम व शर्तें यथावत रहेगा। निविदादाता दिनांक-20.03.2024 तक निविदा प्रपत्र निविदा के नियम व शर्तें हमारी वेबसाइट WWW.mithiladairy.com से डाउनलोड कर सकते हैं।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये कोई भी निविदा या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


प्रबन्ध निदेशक



MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०



सं०मदुस:विप०: 622

दिनांक-15/02/2024

निविदा सूचना(सं०-02/2024)

16

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण।

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ लि०, समस्तीपुर क्षेत्राधीन राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधा उत्पादों के विपणन में वृद्धि के साथ-साथ बिहार के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने से उद्देश्य से बिहार राज्य के समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी जिलों के जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमुख स्थानों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण करवाया गया है, जिसका आवंटन किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति, जो बिहार राज्य के स्थाई निवासी हो एवं पात्रता पूरी करते हों से सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता, निविदा प्रपत्र निविदा के नियम व शर्तें हमारी वेबसाइट www.mithiladairy.com/www.sudha.coop से डाउनलोड कर सकते हैं।

वेबसाइट पर निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता-19/02/2024

निविदा फार्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि-09/03/2024

निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरकर बन्द लिफाफे में सम्बन्धित दस्तावेजों एवं पंजीकरण शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट को संलग्न करते हुए निबन्धित डाक/कुरियर/हाथो-हाथ(कार्य दिवस में) के माध्यम से निम्न पते पर निर्धारित तिथि व समय तक अवश्य जमा करा दें। निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०,
समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक प्रक्षेत्र,
पो०-हरपुर एलौथ, जिला-समस्तीपुर, पिन-848103

स्थल की सूची जहाँ के लिए आवेदन आमंत्रित है-

क्र०	स्थल का नाम	जिला का नाम	पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य)	अग्रधन की राशि रू०
01	प्रखण्ड परिसर, मोहिउद्दीननगर	समस्तीपुर	रू० 1000/-	रू० 10000/-
02	प्रखण्ड परिसर, सरायरंजन	समस्तीपुर	रू० 1000/-	रू० 10000/-
03	प्रखण्ड परिसर, सिंधिया	समस्तीपुर	रू० 1000/-	रू० 10000/-
04	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर	समस्तीपुर	रू० 1000/-	रू० 10000/-
05	राजकीय पोलिटेकनिक, समस्तीपुर (टभका)	समस्तीपुर	रू० 1000/-	रू० 10000/-
06	प्रखण्ड परिसर, केवटी	दरभंगा	रू० 1000/-	रू० 10000/-
07	अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा	दरभंगा	रू० 1000/-	रू० 10000/-
08	डी०एम०सी०एच० परिसर, दरभंगा	दरभंगा	रू० 1000/-	रू० 10000/-
09	प्रखण्ड परिसर, खजौली	मधुबनी	रू० 1000/-	रू० 10000/-

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये कोई भी निविदा या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

16/02/24
प्रबन्ध निदेशक

Samastipur Dairy, Industrial Area, P.O. Harpur Alowth, Dist- Samastipur-848101, Phone-06274-222172, Fax. 223680

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो०- हरपुर एलौथ, जिला- समस्तीपुर-848101, फोन- 06274-222172,

ई-मेल/e-mail: Mithila.idis@gmail.com • Regd 21 Hqr. Date 14-09-87, रजि०- 21 Hqr. 14-09-87



1.0. चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रण

1.1. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा की सूचना हमारी वेबसाइट www.mithiladairy.com/www.sudha.coop पर उपलब्ध होगा एवं सूचना का प्रकाशन प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

1.2. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र ऑफलाईन द्वारा निविदा दो बीड प्रणाली (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) माध्यम से किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल उम्मीदवार का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा। जिसमें बूथ संचालन हेतु अधिकतम दर समर्पित करने वाले को वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत बूथ संचालन कार्य आवंटित किया जायेगा। आवेदन भरने की सम्बन्धित जानकारी दिशा-निर्देश एवं नियम व शर्तें इस निविदा में तथा हमारी वेबसाइट www.mithiladairy.com/www.sudha.coop पर भी दी गयी है। आवेदक से अनुरोध है कि निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व इसमें निहित सभी नियम व शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ लें।

1.3. आवेदक तकनीकी निविदा (खण्ड-I) के फार्म को भर कर उसमें मांगी गई जानकारी का ब्यौरा एवं सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे। तकनीकी निविदा को एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-1) में सील बन्द करेंगे। लिफाफा एक के उपर "तकनीकी निविदा" अवश्य लिखें। वित्तीय निविदा (खण्ड-II) को भी एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-2) में आवेदक अपनी वित्तीय दर समर्पित कर उसे सील बन्द स्थिति में समर्पित करेंगे। लिफाफा-2 के उपर "वित्तीय निविदा" अवश्य लिखें। उपरोक्त वर्णित लिफाफा (लिफाफा-1 एवं लिफाफा-2) को एक अन्य लिफाफा (लिफाफा-3) में डाल कर उसे सील बन्द करेंगे।

आवेदक अपने तीनों लिफाफे पर "राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन एवं आवेदित स्थल का नाम के साथ-साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाईल संख्या अवश्य लिखेंगे।

1.4. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

1.5. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों की जाँच संघ/इकाई के नामित समिति द्वारा की जायेगी।

1.6. चयनित उम्मीदवार को निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज संघ के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।

1.7. आवेदनों की जाँच के उपरान्त एक से अधिक पात्र उम्मीदवारों के द्वारा समर्पित की गयी अधिकतम दर सामान पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में समान रूप से अधिकतम दर समर्पित करने वाले पात्र उम्मीदवारों के बीच के लौटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन होगा।

1.8. दस्तावेज के सत्यापन के उपरान्त चयनित उम्मीदवार को अनुबन्ध की आगे की प्रक्रिया, सुरक्षा राशि जमा करना और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया संघ द्वारा किया जायेगा।

लगातार.....



1.9. यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त अथवा तकनीकी कारणों से आवेदक की पात्रता रद्द हो जाती है तब और शेष बचे सभी पात्र आवेदकों में से ही अधिकतम दर समर्पित करने वाले को चयनित किया जायेगा। चयन के उपरान्त यदि चयनित आवेदक के द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदादाता को प्रथमतया सबसे अधिक समर्पित करने वाले दर पर ही काम करने की सहमति ली जाएगी। सहमति प्रदान होने के उपरान्त ही उन्हें आवंटन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

यदि दूसरा निविदादाता भी प्रथमतया सबसे अधिक समर्पित किए गये दर पर कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीसरे सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदादाता को प्रथमतया सबसे अधिक दर पर ही कार्य करने हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। सहमति प्रदान होने के उपरान्त ही उन्हें आवंटन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले सफल निविदादाता द्वारा कार्य करने से मना करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

1.10. चयनित सफल उम्मीदवार/निविदादाता को औपबन्धिक Letter of Award (LOA) निर्गत किया जायेगा। औपबन्धिक Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अभिलेख हेतु संघ में जमा करना होगा।

1.11. आवंटी को रू० 100000.00 (एक लाख रुपये) की सुरक्षा राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल प्रति) के रूप में संघ के कार्यालय में जमा करना होगा।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों के जमा होने के पश्चात् औपबन्धिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।

1.12. यदि कोई चयनित उम्मीदवार को औपबन्धिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत किया जाता है एवं औपबन्धिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त उनके द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि रू० 10000.00 (दस हजार रुपये) जब्त कर ली जाएगी।

1.13. संघ द्वारा अनुबंध के तहत अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का संचालन हेतु कार्य आवंटन किया जायेगा। जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं बिक्री आंकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

1.14. आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरान्त भी यदि पात्रता मापदण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरीत कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

लगातार.....

Me



पृष्ठ सं०-03

2.0. पात्रता मापदण्ड

2.1 शैक्षणिक योग्यता:- न्यूनतम साक्षर (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्नित करें)।

2.2 आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। (आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

2.3 उम्र:- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम-21 वर्ष।

2.4 आधार कार्ड संख्या :-

(पहचान के प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

2.5 आवेदक को "स्व घोषणा प्रमाण पत्र" संलग्न करना होगा, जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा कि :-

(1) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/हैं या नहीं।

(2) (अ) मैं या मेरे परिवार को कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना या कॉम्फेड से सम्बद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/हैं अथवा नहीं।

(ब) यदि 2 (अ) का उत्तर हाँ है, तो निम्न ब्यौरा सहित स्वघोषणा पत्र समर्पित करें।

मैं (आवेदक का नाम)..... स्वघोषित करता हूँ कि

श्री/सुश्री/श्रीमति (कार्यरत कर्मी का नाम).....

.....(संघ / इकाई का नाम)..... पदनाम.....

..... के पद पर (पदस्थापन का स्थान)..... में कार्यरत है, एवं मेरे (आवेदक के साथ सम्बन्ध)..... है।

(उदाहरणार्थ:- मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमति रणवीर कुमार सिंह जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर के डेयरी वर्कर के पद पर सिवान में कार्यरत है, मेरे पिता है।)

ऐसे आवेदक, (1) जिन्हें स्वयं या उनके परिवार में किसी सदस्य को पूर्व से होल-डे मिल्क पार्लर आवंटित है, उन्हें अथवा उनके परिवार के सदस्य को एवं (2) कॉम्फेड या कॉम्फेड के सम्बद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत वर्तमान कर्मी को इस योजना के अन्तर्गत होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन नहीं किया जायेगा।

(स्वघोषणा पत्र का प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न है।)

लगातार.....

NG



पृष्ठ सं०-04

2.6 रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अग्रधन राशि:- आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य) 1000.00 (एक हजार) एवं अग्रधन की राशि 10,000.00 (दस हजार) निर्धारित है। आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन राशि के रूप में आवेदन(खण्ड-1) के साथ अलग-अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन(खण्ड-1) के साथ पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन की राशि संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.7 आवेदनकर्ता निर्धारित पंजीकरण शुल्क राशि एवं अग्रधन राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०(MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD) के नाम पर निर्गत एवं समस्तीपुर में भुगतये हो संलग्नित करेंगे।

2.8 वित्तीय योग्यता:- (व्यवसाय हेतु आवेदक के पास न्यूनतम राशि 100000.00/- (एक लाख) होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो। यथा- फिक्सड डिपोजिट, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में 1,00000.00/- (एक लाख) की राशि जमा रहने का प्रमाण (बैंक पासबुक) की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता संख्या दर्ज हो ताकि सम्बन्धित पृष्ठ जिसमें राशि जमा रहने का प्रमाण अंकित हो) या सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।)

2.9 आवेदक को स्वस्थ होना आवश्यक है। संघ द्वारा मांग किये जाने पर आवेदक को किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र की मलू प्रति प्रदान करना होगा।

2.10 असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि 10,000/- (दस हजार) वापस कर दी जायेगी। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

2.11 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पहले सुरक्षा राशि 1,00,000/- (एक लाख) (वापसी योग्य) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। अंतिम रूप से चयनित आवेदक (आवंटी) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि 10,000/- (दस हजार) जो सुरक्षा राशि को समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे 90,000/- (नब्बे हजार रुपये) आवंटी को जमा करना होगा। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

2.12 चयन के उपरान्त सफल उम्मीदवार को एक माह के भीतर जी० एस० टी० एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।

2.13 पात्रता मापदण्ड के तहत बिन्दु सं०-2.1 से 2.9 तक अनिवार्य सभी पात्रता मापदण्ड शर्तों को पूरा करना होगा। मापदण्ड शर्तों का पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घोषित करते हुए उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

2.14 तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदादाता का वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उनका वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा।

लगातार.....



पृष्ठ सं०-05

3.0 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर-संचालन हेतु

Standard Operating Procedure (S.O.P)

- 3.1. बिक्री हेतु सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के संचालन का समय-सुबह 6.00 बजे से रात्रि 9.00 तक निर्धारित रहेगा।
- 3.2. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन को विपणन पथ प्रभारी द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार दूध/दुग्ध उत्पादक प्राप्त करना होगा।
- 3.3. प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संघ के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जिसका प्रबन्धन संघ से सम्बन्धित विपणन क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा। सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उपलब्ध कराये गये सारे सम्पत्तियों का अधिकार मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, समस्तीपुर का होगा।
- 3.4. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सुधा ब्राण्ड की पहुँच बढ़ाने हेतु प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का बिक्री का लक्ष्य बाजार क्षमता को ध्यान रखते हुए संघ द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 3.5. आवंटी/संचालक को सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की अधिकतम रेंज रखनी होगी। किसी अन्य उत्पाद या ब्राण्ड के उत्पादों को तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसे विशेष रूप से लिखित अनुमति नहीं की जाती है।
- 3.6. आवंटी/संचालक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र के लिए संघ द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नियुक्त वितरक के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायेगे। आपके द्वारा किसी अन्य वितरक से सुधा उत्पादों को क्रय नहीं किया जायेगा।
- 3.7. आवंटी/संचालक द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का भुगतान सम्बन्धित वितरक को अग्रिम के रूप में किया जायेगा।
- 3.8. आवंटी/संचालक को संघ द्वारा प्रदान की गयी निर्धारित दर अथवा अधिकतम खूदरा मूल्य (एम०आर०पी०) पर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री करना होगा तथा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सामने एम०आर०पी० की दर तालिका प्रदर्शित करनी होगी।
- 3.9. चयनित आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर परिसर के आस-पास सफाई एवं कचरा पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 3.10. इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों की समय-समय पर सर्विसिंग/रख-रखाव आवंटी/संचालक द्वारा किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का खर्च आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।
- 3.11. चयनित आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर परिसर के समीप अस्थायी का निर्माण कर किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं है।
- 3.12. विशेष अवसर हेतु आवंटी/संचालक को अपने सम्बन्धित वितरकों को अधिक मांग के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।

लगातार.....

20



- 3.13. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी भी दिन बन्द नहीं होनी चाहिए। यद्यपि परिस्थितियाँ असामान्य होने पर आवंटी/संचालक द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी को पूर्व में सूचना प्रदान की जायेगी।
- 3.14. दूध और दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी लेते समय आवंटी/संचालक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा की जाँच अवश्य करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 3.15. चयनित आवंटी/संचालक ग्राहकों को दूध एवं दुग्धजन्य उत्पाद पहुँचाने के लिए होम डिलेवरी व्यक्ति व पुश कार्ट व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं, जिनका चिकित्सा प्रमाण-पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलेवरी करने वाले व्यक्ति का वेतन आवंटी/संचालक को ही प्रदान करना होगा।
- 3.16. आवंटी/संचालक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के बेहतर संचालन हेतु अधिकतम दो सेल्स मैन् को नियुक्त कर सकते हैं, जिनका चिकित्सा प्रमाण-पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलेवरी करने वाले व्यक्ति का वेतन आवंटी/संचालक को ही प्रदान करना होगा।
- 3.17. आवंटी/संचालक को उन वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन सुनिश्चित करना होगा। जिन्हें कम और विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। आवंटी/संचालक को सभी उत्पादों को अधिकतम बिक्री करने का प्रयास करना होगा।
- 3.18. सम्बन्धित क्षेत्र वितरक के द्वारा यदि आवंटी/संचालक को किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण, त्रुटियाँ दर पर सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जाते हैं या सम्बन्धित क्षेत्र के वितरक के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो ऐसे मामलों को आवंटी/संचालक द्वारा संघ के सम्बन्धित सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उठाया जायेगा।

4.0. रखरखाव एवं अन्य शुल्कों का भुगतान

- 4.1. आवंटी/संचालक को Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI Licence प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति रिकार्ड हेतु सम्बन्धित संघ/इकाई को इसकी छाया प्रति जमा करना होगा।
- 4.2. आवंटी/संचालक को निविदा के आलोक में देय आवंटित मासिक किराया/दर तथा देय वैधानिक कर, प्रत्येक माह के पाँच तारीख के पूर्व संघ के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित मासिक आवंटित दर में प्रत्येक तीन वर्ष के उपरान्त 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किराया यदि भूमि के लिए लागू हो उसे आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।
- 4.3. आवंटी/संचालक को बिजली बील मासिक रख-रखाव किराया/दर पानी शुल्क तथा अन्य वैधानिक खर्च प्रत्येक माह के पाँच तारीख के पूर्व संघ में जमा करना होगा एवं बील की छाया प्रति संघ को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिजली व पानी का आवश्यक कनेक्शन आवंटी को स्वयं के नाम पर लेना आवश्यक होगा।

लगातार.....



4.4. आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्दर उपलब्ध सम्पत्ति के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर भवन का बीमा कराना चाहिए तथा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम समय पर जमा करना होगा। बीमा रसीद का प्रमाण संघ की इकाई को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

4.5. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा अधिकतम डिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की खरीद/बिक्री की जानी चाहिए।

5.0. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का समापन

5.1. आवंटित सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का कार्यालय तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल प्रारम्भ होने की गणना एकरारनामा के तिथि से की जायेगी। प्रदर्शन के आधार पर आवंटन कार्यकाल प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आवंटी का कार्यकलाप/प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो एकरारनामा निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी अन्य पक्ष को आवंटित कर दिया जायेगा।

5.2. यदि चयनित आवंटी/संचालक के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध/एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

(क) आवंटी/संचालक का बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर।

(ख) यदि आवंटी/संचालक द्वारा कॉम्फेड से सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(ग) यदि आवंटी/संचालक द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।

(घ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उप-पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।

(ङ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर (एम०.आर०.पी०.) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(च) यदि सम्बन्धित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा आवंटित सुधा मिल्क सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बन्द पाया जाता है।

5.3. संघ एवं संचालक के साथ हुए समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि संघ को ज्ञात होता है कि आवंटी संचालक द्वारा संघ, सुधा ब्राण्ड या ग्राहकों के हित के विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे संघ या सुधा ब्राण्ड की छवि खराब हो रही है।

लगातार.....





- 5.4. आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को सरेंडर करने की स्थिति में आवंटी/संचालक को संघ को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।
- 5.5. पुनः आवंटन खुली निविदा के माध्यम से आवेदकों के चयन की पूर्व की प्रक्रिया के तहत की जायेगी।
- 5.6. अनुबन्ध की समाप्ति के बाद, यदि सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को संचालक/आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं सौंपा जाता है, तब ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद दिनों की संख्या को अनाधिकृत कब्जा माना जायेगा। जिसमें प्रतिदिन 100 रु० दण्डात्मक रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु आवंटी/संचालक उत्तरदायी होगा। दण्डात्मक किराये की गणना सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अनाधिकृत कब्जे के दिनों की संख्या के आधार पर की जायेगी।
- 5.7. आवंटन समाप्ति की स्थिति में सभी मशीनरी, उपकरण, ब्राण्डिंग सामग्री और फिटिंग आदि के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को दो प्रतियों में हैंड ओभर और टेक आवेर के माध्यम से सम्बन्धित संघ या चयनित नये आवंटी/संचालक को सौंप दिया जायेगा, जिसपर संघ के प्रतिनिधि एवं आवंटी या उसके द्वारा अधिकृत/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे।
- 5.8. आवंटन समाप्ति की स्थिति में पुराने आवंटी/संचालक के परिवर्तन के समय पुराने आवंटी/संचालक के द्वारा ही सभी बकाया राशि का निपटारा एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर में स्थित सभी स्टॉक का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। संघ द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर में लगाये दिये सभी सम्पत्तियों का निरीक्षण संघ के अधिकृत सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि व कमी पाये जाने पर पुराने आवंटी/संचालक से उसकी क्षतिपूर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।

06. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के उत्पन्न होने की स्थिति में आपके द्वारा संघ को वस्तु स्थिति की लिखित जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संघ द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु दिये गये कार्यादेश/सम्पादित किये गये एकरारनामा के आलोक में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं।

(ख) इस धारा/उपबन्ध/खण्ड "अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) को शामिल करने का उद्देश्य घटनाओं, परिस्थितियों में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारु संचालन से है, जो आवंटी/संचालक या संघ के नियंत्रण से बाहर है एवं उसमें आवंटी/संचालक या संघ की लापरवाही या भूमिका शामिल नहीं है। हड़ताल, दूर्घटना, आगजनी, बाढ़, आंधी-तूफान, भूकम्प, महामारी अथवा शासन आदेश या घोषणा के अनुपालनार्थ या वैसी परिस्थिति जो सम्बन्धित सभी पक्षों के नियंत्रण में न हों, को शामिल करना है।

07. किसी भी विवाद की स्थिति में सम्बन्धित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत के समाधान नहीं होने की स्थिति में विवाद का निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम-1996 (Arbitration & Conciliation Act-1996) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। कानूनी मामलों की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र समस्तीपुर होगा।



MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०



खण्ड-I

(तकनीकी निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)



(हाल के पास
पोर्ट आकार का
रंगीन फोटो
चिपकाएँ)

1- जिला का नाम :

2- आवेदित स्थल का नाम :

(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)

3- आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :

4- आवेदक का पता

(क) वर्तमान पता:

(ख) स्थायी पता:

(कृपया क्रम संख्या 4 (क) एवं (ख) में उल्लेखित पते से सम्बन्धित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

5. मोबाईल नम्बर : ई-मेल:

6. आवेदक का आधार कार्ड संख्या :

(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

7. पैन कार्ड नम्बर:

(कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

8. स्थायी निवास प्रमाण पत्र:

(आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

लगातार.....

Ne



09- शैक्षणिक योग्यतय (साक्षर)

(कृपया प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10- उम्र (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम-21 वर्ष)

(कृपया जन्म प्रमाण पत्र, कोई अन्य दस्तावेज या दसवीं पास का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित हो)

11- स्व घोषणा प्रमाण-पत्र

(आवेदक द्वारा संलग्नित स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा)

12. क्या आवेदक स्वस्थ है ? हाँ/नहीं (कृपया उपयुक्त में सही का निशान लगावे)

(संबंधित संघ/इकाई/कॉम्पेड द्वारा मांग किये जाने पर आवेदक द्वारा किसी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्नित करना होगा)

13. निविदा में आमंत्रण हेतु निबंधन शुल्क एवं अग्रधन राशि:-

(आवेदनकर्ता निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क रू० 1000.00(एक हजार) एवं अग्रधन की राशि रू० 10000.00(दस हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अलग-अलग हो एवं सम्बन्धित संघ/इकाई के नाम या उनके द्वारा बताये गये नाम पर निर्गत एवं भुगतये हो संलग्नित करे।)

14. व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता:

(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी रू० 100000.00(एक लाख) होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा-फिक्सड डिपोजिट या सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करे।)

नोट:-

- सुधा मिल्क पार्लर हेतु आवेदन करने से पहले निविदादाता/आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ समझ लें।
- क्रम संख्या 1 से 14 तक अनिवार्य सभी शर्तों को पूरा करना होगा। अगले दौर की चयन प्रक्रिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों की निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेंगे।
- सफल उम्मीदवारों को कार्य के आवंटन से पहले FSSAI Licence प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदादाता का वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा।

लगातार.....



MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०



स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेजे मे दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय मिथ्या/गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द माना जायेगा। मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक:-----

स्थान:-----



MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०



स्व घोषणा प्रमाण पत्र

1- मैं ये मेरे परिवार को कोई भी सदस्य सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/है अथवा नहीं।

हाँ/नहीं

(कृपया उपर्युक्त में सही का निशान लगायें)

2- मैं या मेरे परिवार को कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना या कॉम्फडे से सम्बद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/हैं अथवा नहीं।

हाँ/नहीं

(कृपया उपर्युक्त में सही का निशान लगायें)

यदि 2 का उत्तर हाँ है, तो निम्न ब्यौरा भरें।

मैं (आवदेक का नाम).....स्वघोषित

करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती (कार्यरत कर्मी का नाम).....

.....(संघ / इकाई का नाम)

.....के (पदनाम).....

.....के पद पर (पदस्थापन का स्थान).....

.....में कार्यरत है, एवं मेरे (आवदेक के साथ सम्बन्ध).....

.....है।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:



MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०



खंड-II

(वित्तीय निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

1- जिला का नाम :

2- आवेदित स्थल का नाम :

(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)

3- आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :

4- सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु समर्पित किये जाने वाले दर (रूपये प्रतिमाह)

अंकों में

शब्दों में

.....
निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

NS